भारतीय समाज में हाशियाकरण व इसके शैक्षिक निहितार्थ

शिक्षा में हाशियाकरण से तात्पर्य समाज के उन वंचित वर्गों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना है जिन्हें शिक्षा के समान अवसर प्राप्त नहीं हो रहे हैं। हमारे समाज में दलित उपेक्षित अर्थात अनुसूचित जाति व जनजाति के वर्ग हाशिये पर खड़े हैं क्योंकि उन्हे समाज के उच्च व धनी वर्गों के समान शिक्षा के समान अवसर प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। ये वे लोग हैं जो हिन्दू समाज से सम्बन्धित होने के बावजूद सदियों से भेदभावपूर्ण रवैया के कारण समाज की मुख्य धारा से अलग-थलग रह रहे हैं तथा इन्हे राज्य द्वारा उचित स्थान दिलाने हेतु विशेष प्रावधान व सहायता की जरुरत पड़ती है। अनुसूचित जाति को दलित या निम्न जाति के रुप में एवम् कहीं-कहीं आदिवासी के रुप में भी जाना जाता है। संविधान के अनु० 338 तथा 338(A) के अन्तर्गत दो वैधानिक निकाय अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग तथा अनुसूचित जनजाति के लिए भी राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है। उल्लेखनीय बात यह है कि शोषण, अन्याय आदि के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने तथा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व सांस्कृतिक हितों से सम्बद्ध क्षेत्रों में इस समुदाय के लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए संविधान के में कुछ विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गयी है।

मानवाधिकार आयोग की एक शाखा ने एक रिपोर्ट में कहा है कि भारत में स्कूल प्राधिकारी हाशिये पर रह रहे समुदायों के बच्चों के साथ लगातार भेदभाव करते हैं, उन्हे शिक्षा के उनके अधिकार से वंचित करते हैं। भारत में यह महत्वाकांक्षी शिक्षा कानून के लागू होने के पाँच वर्ष बाद, जिसमें

Scanned with CamScanner

6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए मुफ्त स्कूली शिक्षा की गारण्टी दी गयी है। लगभग हर बच्चे का दाखिला हुआ, तो भी उनमे से आधे बच्चों की अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पूर्व ही स्कूल छोड़ देने की सम्भावना बनी रहती है। यह स्थिति भारतीय राज्यों में स्कूल प्राधिकारियों द्वारा दलित आदिवासी तथा मुस्लिम बच्चों के साथ किये जा रहे भेदभाव का लेखाजोखा बयान करती है जिससे शिक्षा के सार्वभौमीकरण का लक्ष्य पूरा नही हो पाता है। मानवाधिकार की इस रिपोर्ट की लेखिका जयश्री बजोरिया का कहना है कि हाशिये पर खड़े इन बच्चों को प्रोत्साहित करने की बजाय अध्यापक उनकी उपेक्षा करते हैं और उनसे दुर्व्यवहार करते हैं।

आज संवैधानिक गारण्टी तथा भेदभाव के विरुद्ध कानूनों के बावजूद भारत में हाशियें पर रह रहे लोग समूह भेदभाव का शिकार होकर उपयुक्त शिक्षा प्राप्त नही कर पा रहे हैं। स्कूल के प्राधिकारी जाति, नस्ल, धर्म अथवा लिंग के आधार पर पुरातन समय से चले आ रहे भेदभावपूर्ण आचरण का समर्थन करते हुए दलित आदिवासी तथा मुस्लिम समुदाय के बच्चों को प्रायः कक्षा में सबसे पीछे या अलग कमरे में बैठने को कह देते हैं। उन्हे अपमानजनक नामों का प्रयोग करके बेइज्जत किया जाता है, भोजन भी आखिरी में परोसा जाता है, जबकि पारम्परिक रुप से विशेषाधिकार प्राप्त समूहों के बच्चों से ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता है।

Scanned with CamScanner